उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग–1
संख्या 4588/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ.ब.)
लखनऊ दिनांकः 6 अगस्त, 2001

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में ग्राउण्ड वाटर के संरक्षण तथा रिचार्जिंग हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग पद्धतियों को अपनाए जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के स्तर से जारी शासनादेश संख्या 1703ए/9–आ–1–2001–29 विविध/98 (आ.ब.) दिनांक 12 अप्रैल, 2001 द्वारा विभिन्न स्तरों पर यथा महायोजना निर्माण, ले–आउट प्लान तथा भवन मानचित्र अनुमोदन के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सरल, कुशल एवं कम लागत वाली पद्धतियों को अपनाए जाने की अपेक्षा की गई है।

2. इस क्रम में आवास विभाग के अधीन कार्यरत विभागों/संस्थाओं द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पद्धतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने जाने एवं इस कार्य में समुचित मार्गदर्शन देने के लिए प्रमुख सचिव, आवास की अध्यक्षता में एक 'एक्शन ग्रुप' का गठन किया जाता है जिसमें निम्न सदस्य होंगे :–

(1) प्रमुख सचिव, आवास अध्यक्ष
(2) आवास आयुक्त, उ0प्र. आवास एवं विकास परिषद सदस्य
(3) मुख्य नगर एंव ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश सदस्य
(4) विशेषज्ञ, सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड सदस्य
(5) अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु सदस्य
(6) मुख्य वास्तुविद् नियोजक, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् सदस्य/सचिव

3. उपरोक्त एक्शन ग्रुप द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी :–

(i) महायोजनाओं के क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान प्राकृतिक जलाशयों, तालाबों तथा झीलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोजनार्थ Rejuvinate करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना,

(ii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग पाइलट प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराना,

(iii) रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ।चचतवअमक ज्मबीदवसवहपमे के प्रोत्साहन हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं से इण्टरफेस/परामर्श करना,

(iv) विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्य–क्षेत्र में आने वाले नगरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या–4588(1)/9–आ–1–2001–29 विविध/98(आ.ब.) तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. समिति के समस्त सदस्य।
2. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
टी0पी0 पाठक
विशेष सचिव